AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

कन्या भ्रूण हत्या – एक सामाजिक चुनौती

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. विमला सिंह
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
कमला नेहरु महाविद्यालय
कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

'स्त्री मानव – जाति की जननी और दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। स्त्रियों के धैर्य, सहनशक्ति, प्रेम, अनुराग, सहानुभूति और उदारता आदि कुछ आदर्शभूत और अनुकरणीय गुणों को ध्यान में रखते हुए ही इसे देवी का प्रतिरूप माना जाता है जैसे: लक्ष्मी, दुर्गा सरस्वती।'[1] भारत प्राचीन काल से ही एक धर्म प्रधान देश रहा है। भारतीय जीवन में सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों, मान्यताओं व मानदण्डों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज के वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। इस वैज्ञानिक युग में इस कड़वे सच को नकारना दुश्कर होगा कि जीवन को सुलभ बनाने हेतु नयी तकनीकी और तरीकों को विकसित किया है पर कुछ चिकित्सक लोग स्वयं की धनलोलुपता के कारण इन तकनीकों का गलत प्रयोग करते है। अल्ट्रासोनोग्राफी तकनीकों का विकास आनुवांशिक असंतुलन और असमान्यताओं को जाँचने और मापने के लिए हुआ था, लेकिन इसके द्वारा गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग का परीक्षण कर लेने के बाद अगर भ्रूण कन्या होती हैं तो गर्भपात करा दिया जाता है जो हमारे लिये एक सामाजिक चुनौती का विषय हैं।

मुख्य शब्द

स्त्री, मानव जाति, कन्या, भ्रूण हत्या, समाज.

प्रस्तावना

प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वास का वर्चस्व आज भी कायम है। यही कारण है कि प्रत्येक परिवार में पुत्र का जन्म लेना अतिआवश्यक है, क्योंकि कुल का नाम रोशन कर सके, उनका वंश चला सके और उसके व्यवसाय एवं सम्पति को उसके मृत्यु के बाद संभाल सके। मरणोपरान्त पुत्र के हाथों मुखाग्नि पाने से मृतक की आत्मा को मोक्ष मिल सके, व स्वर्ग की प्राप्ति हो जाये, इन्हीं विश्वासों ने हिन्दु समाज में पुत्र की लालसा को प्रलब बनाया है, जबकि पुत्री के प्रति नकारात्मक विचारों उत्पन्न करता है, कि पुत्री पराया धन है, पुत्री के पालन–पोषण, शिक्षा पर किया गया खर्च व्यर्थ होता है। विवाह के बाद पुत्री अपने मायका पक्ष का कभी भी आर्थिक सहायता नहीं कर पायेगी आदि गलत धारणाओं के कारण कन्या भ्रूण हत्या होती रही है।

डा. मिलर ने लिखा है कि 'कन्या भ्रूण हत्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूपों में हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप में तो मारने–पीटने से, जहर देकर या गला घोटने से हत्या होती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनके लालन–पालन, पोषण या देखभाल की उपेक्षा करके उन्हें मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अब तो एक आधुनिक तरीका गर्भ में

लिंग निर्धारण या मेडिकल परीक्षण है जिसके द्वारा यह पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की और हजारों की संख्या में लोग यह पता लगने पर कि गर्भ में लड़की है गर्भपात कर लेते है। जन्म लेने से पहले ही नारी की हत्या हो जाती है।'[2]

महिला प्रगति के अभाव में समाज की प्रगति असंभव है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज की स्थिति काफी संकटपूर्ण और भयानक प्रतीत होती है, क्योंकि महिला प्रगति, महिला शक्ति और नारी स्वातंत्रय सभी की अनदेखी करते हुए हमारे समाज में कन्या भ्रूण की हत्या बड़े पैमाने पर की जा रही है।

''भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस'' के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया क्योंकि इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमति इंदिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' घोषित करने व मनाए जाने का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना व बालिकाओं की वृद्वि पर बल देना है।''[3] महिलाओं के लिए कल्याणमुखी विकास नीति (1950–75 तक), विकास में एकीकरण की नीति (1975–85 तक) व महिला सशक्तिकरण की नीति (1985 के बाद) बनाई गई। 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया, 1976 से 1985 को महिला दशक मनाए जाने का निर्णय लिया गया। चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 को पारित व क्रियान्वित किया गया।

इतने कठोर नीतियों व नियमों के बाद भी कन्या भ्रूण का गर्भपात हो रहा है। केन्द्र सरकार के आंकड़ों पर आधारित प्यू रिसर्च सेंटर के एक शोध से पता चलता है कि वर्ष 2000–2019 में कम से कम 9 मिलियन महिलाओं की भ्रूण हत्या हुई है। शोध में पाया गया कि इन भ्रूण हत्याओं में से 86.7 हिंदुओं (आबादी का 80 प्रतिशत) द्वारा की गई, उसके बाद सिखों (आबादी 1.7 प्रतिशत) द्वारा 4.9 प्रतिशत और मुसलमानों (आबादी का 14 प्रतिशत) द्वारा 6.6 प्रतिशत की गई।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण

1. भारतीय समाज में धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वास का वर्चस्व का आज भी होना।
2. दहेज प्रथा का होना।
3. पुत्र प्राप्ति की ही अंतिम इच्छा।
4. शिक्षित व आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार में कन्याभ्रूण हत्या अधिक होना।
5. महिलाओं में जागरूकता का अभाव व स्वयं की इच्छा व परिवार का दबाव।

शोध– प्रविधि तथा अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु उद्देश्य पूर्ण निदर्शन, साक्षात्कार, अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार द्वितीयक स्त्रोतों का सहारा लिया गया है। तथ्यों को सारगर्भित बनाने के लिए सांख्यिकी विधि का भी उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध – पत्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के ऊर्जाधानी कोरबा नगर का चयन किया गया है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, और आने वाले समय में यह संख्या बढ़ सकती है। 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरूषों में 4 अधिक महिलाएं थी। 2001 कि जनगणना में 8 प्रतिशत कमी तथा 2011 को जनगणना में 29 प्रतिशत की कमी आई। कोरबा जिले में लगातार घटती जा रही कन्याओं की संख्या एक चुनौती बनती जा रही है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे कम लिंगानुनात कोरबा में 971 है। लिंगानुपात किसी राज्य के स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

प्रस्तुत अध्ययन में कन्या भ्रूण हत्या के लिये कोरबा जिले के बालको, दर्री, उरगा, निहारिका क्षेत्रों से 120 उत्तरादाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा किया गया है।

कन्या भ्रूण हत्या अपराध है?

शोध में ये पाया गया है कि जिन परिवारों में पहली सन्तान लड़की होती है उनमें से ज्यादातर परिवार पैदा होने से पहले दूसरे बच्चे की लिंग – जांच करवा लेते है और लड़की होने पर उसे मरवा देते है, लेकिन अगर पहली सन्तान बेटा है तो दूसरी सन्तान के लिंग अनुपात में गिरावट नहीं देखी गई।

समय के साथ बेटे की चाहत कम नहीं हुई है लेकिन छोटे परिवारों का चलन तेजी से बढ़ा है इसलिए पहली बेटी होने पर दूसरे बच्चे की लिंग जांच करवाकर परिवार ये सुनिश्चित करना चाहते है कि उनका एक बेटा तो जरूर हो।

तालिका क्रमांक 1: कन्या भ्रूण हत्या अपराध है?

क्रमांक	कन्या भ्रूण हत्या अपराध है	आवृति	प्रतिशत
1.	हाँ	62	51.6
2.	नहीं	58	48.4
	कुल योग	120	100.0

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 51.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं की दृष्टि से कन्या भ्रूण हत्या अपराध है, क्योंकि बच्चों का जन्म ईश्वर की इच्छा से होता है व प्रकृति का अपना नियम है। 48.4 प्रतिशत उत्तरदाता कन्या भ्रूण हत्या को अपराध नहीं मानते है क्योंकि आज वर्तमान समय में जनसंख्या दबाव बढ़ता जा रहा है। आज 'हम दो हमारे दो' व 'छोटा परिवार सुखी परिवार' माना जाता है व बेटों को महत्व देने की सोच ने कन्या भ्रूण हत्या कि संख्या को बढ़ा दिया है।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण

हमारे समाज में यह देखा गया है कि स्त्री गर्भवती होती है तो उसके स्वयं की भी इच्छा होती है कि वह एक बेटे को जन्म दें और बेटे की मां कहलाना उसकी परम इच्छा होती हैं, जिसके कारण वह गर्भपात करा लेती हैं। कभी उसके पति या परिवार के अन्य लोग उस पर दबाव डालकर गर्भपात करवा देते है। विडम्बना इस पर भी यह है कि यह कार्य समाज के आधुनिक, शिक्षित, समझदार और बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा हो रहा है, परंतु यह कैसा न्याय है कि यदि गर्भ में कन्या भ्रूण हो तो उसे जन्म से पूर्व ही नष्ट कर दिया जाए?

तालिका क्रमांक 2: कन्या भ्रूण हत्या के कारण

क्रमांक	कारण	आवृति	प्रतिशत
1.	पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व	22	18.4
2.	दहेज प्रथा	17	14.2
3.	पारिवारिक इच्छा	15	12.5
4.	आर्थिक समस्याएं	18	15.0
5.	सामाजिक समस्याएं	16	13.3
6.	गर्भपात की सुविधा का होना	19	15.8
7.	छोटा परिवार रखने का दबाव होना	13	10.8
	कुल योग	120	100.0

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 18.4 प्रतिशत उत्तरदाता कन्या भ्रूण हत्या का कारण पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना मानते है, क्योंकि प्राचीन काल से ही बेटे को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया है। 15.8 प्रतिशत उत्तरदाता गर्भपात की सुविधा का होना, 15 प्रतिशत आर्थिक समस्या का होना, 14.2 प्रतिशत दहेज

प्रथा का होना, 13.3 प्रतिशत सामाजिक समस्याएं, 12.5 प्रतिशत परिवार की इच्छा, 10.8 प्रतिशत छोटे परिवार के होने का दबाव मानते है।

अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से पता चला है कि अगर परिवार में दो बेटियों का जन्म हो चुका है तो तीसरी संतान बेटा ही होना चाहिए।

दण्डात्मक विधिक प्रावधान

सभी प्रकार के भ्रूण हत्या की रोकथाम और उस पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया गया है। सरकार द्वारा सन् 1974 में पारित मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रिग्नेसी एक्ट के अनुसार यह प्रावधान है कि यदि गर्भस्थ शिशु के बारे में यह पता चल जाए कि वह असामान्य है और परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग के बावजूद गर्भ में ठहर गया हो तो ऐसी स्थिति में गर्भपात कराना गैर–कानूनी नहीं होगा बशर्ते कि यह सारी प्रक्रियायें 20 सप्ताह के भीतर संपन्न हो जाए।

'भारतीय दण्ड संहिता की धारा 312 व 313 के तहत एक महिला के जीवन को बचाने के लिए भ्रूण नष्ट करने के मामले में चाहे उसमें उसकी सहमति हो या न हो, उसके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है जिसमें तीन साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनो ही हो सकते है और यदि भ्रूण अवधि का समय अधिक हो गया है तो उसे नश्ट कराने पर सात साल का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। यहाँ तक की धारा 315 के तहत वह भी दण्डनीय होगा जो आशयपूर्ण – कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि जन्म लेने से पूर्व ही भ्रूण की हत्या हो जाती है।[4]

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय

पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 'लोगों में जागृति लाने के लिए हमें पहले स्त्रियों को जागृत करना होगा, स्त्रियों के आगे बढ़ने से परिवार आगे बढ़ेगा, गाँव आगे बढ़ेगा और राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा।'[7]

राज्य में संचालित निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की अवैध गतिविधियां है। इन संस्थानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाए अपना ध्यान धनोपार्जन पर अधिक केंद्रित कर रखा है। अगर पूरे प्रदेश में इस तरह की कानून के विरूद्ध गतिविधियां चल रही है तो इसके लिए सीधे जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी. एच. एम. ओ.) जिम्मेदार है, इन्हें कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में कठोर कार्यवाही करना होगा।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये निम्न उपाय किये जा सकते हैं:

1. कन्या भ्रूण हत्या अपराध है और कोई भी धर्म इस क्रूरता की आज्ञा नहीं देता, अतः जो लोग भी यह करते हैं या करवाते हैं उन्हें समाज से बहिष्कृत करना चाहिए।
2. गर्भपात को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसके लिए कानून में व्यापक व कठोर बदलाव लाने की जरूरत है।
3. मीडिया की भूमिका एवं उनका दायित्व अपने में एक बड़ी चुनौती है मीडिया के लोगों को इस विषय पर खुलकर बोलना होगा और समाज से जुड़े हर पहलू को उभारना होगा।
4. कन्या भ्रूण हत्या के दोषी माता–पिता दोनों को ही कड़ी और अतिशीघ्र सजा दी जाये।
5. लिंग परीक्षण तकनीक द्वारा कोख में लिंग की पहचान करने वाले डाक्टरों और उनके सहयोगियों को कठोर दण्ड दिया जाये।
6. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये सभी स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रमों में इसे अध्याय के रूप में शामिल किया जाये।
7. जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात में बहुत अधिक अन्तर है उन्हें चिन्हित कर गाँवों, तहसील व जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाये।

निष्कर्ष

कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। समाज का पितृ – सतात्मक स्वरूप, पुत्र द्वारा वंश परम्परा की निरन्तरता, मृत्यु पश्चात् पिण्डदान, दहेज प्रथा आदि कन्या भ्रूण हत्या के लिए किसी न किसी मात्र में उत्तरदायी हैं। एक तरफ हमारे समाज में स्त्री सशक्तिकरण की बात बड़े जोर–शोर से की जा रही है वही दूसरी ओर स्त्रियां आज सर्वाधिक असुरक्षित हैं, स्त्रियां के खिलाफ अपराध की घटनाएं दिनों–दिन बढ़ती जा रही हैं। अब जन्म के पहले ही इन्हे मार दिया जा रहा है कन्या भ्रूण हत्या के रूप में। एक तरफ तो मनुष्य आधुनिक होने का दावा करता है, तो दूसरी ओर सभी परम्पराओं को भी अपने मन में रखा हुआ है। जब तक पुरूष प्रधान समाज दोहरा आवरण धारण किया रहेगा, इस समस्या को समाप्त कर पाना संभव ही नहीं हैं। हमारी सोच को बदलना होगा 'बेटा व बेटी एक समान' इस नारे को प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी के साथ अपनाना होगा। जब तक हम सभी की सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक न तो कानून और न ही सरकार के द्वारा इस पर नियंत्रण संभव है।

संदर्भ सूची

1. मदन, जी. आर. (1984) *भारतीय सामाजिक समस्याएँ,* विवेक प्रकाशन दिल्ली, पृ. 37।
2. महाजन संजीव, (2007) *भारत में सामाजिक विघटन,* अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली, पृ. 305।
3. दीक्षित ध्रुव कुमार, (2010) *कन्या भ्रूण हत्याः एक सामाजिक अभिशाप,* अमन प्रकाशन सागर, म.प्र., पृ. 166।
4. श्रीवास्तव सुधारानी, (2009) *महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार,* अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, पृ. 133।

––==00==––